मेन्स मास्टर

भारत द्वारा अपनी श्रम शक्ति का अपर्याप्त उपयोग

संदर्भ:

• **श्रम आय पर अत्यधिक निर्भरता:** अधिकांश भारतीय अपनी आजीविका के लिए केवल काम से होने वाली आय पर निर्भर हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छी तरह से काम करने वाला श्रम बाजार उनकी भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी (जैसे कारखाने) या भूमि (कृषि के लिए) का स्वामित्व अधिकांश लोगों के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है।

• **अनौपचारिक रोजगार का प्रभुत्व:** भारत की 90% कामकाजी आबादी अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। इन नौकरियों में आमतौर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ और बेरोजगारी लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी होती है। यह इन क्षेत्रों के श्रमिकों को आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उनके भविष्य में बचत और निवेश करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।

पृष्ठभूमि:

• **हाल के रुझानों की जाँच:** लेखक भारतीय श्रम बाजार में हाल के रुझानों (2017-18 से) का विश्लेषण करने के लिए पुराने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की तुलना में सूचना के अपेक्षाकृत नए स्रोत, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के डेटा का उपयोग करता है।

श्रम बाजार क्यों महत्वपूर्ण है:

• **रोजगार सृजन और आजीविका:** एक गतिशील श्रम बाजार जो व्यवसाय विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है, नई नौकरियों के सृजन की ओर ले जाता है। यह अधिक लोगों को कार्यबल में प्रवेश करने और जीविकोपार्जन करने का अवसर देता है, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार होता है।

• **आर्थिक विकास:** जब आबादी के एक बड़े हिस्से के पास नौकरी और डिस्पोजेबल आय होती है, तो उपभोक्ता खर्च बढ़ता है। यह व्यवसायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, एक कुशल और उत्पादक कार्यबल कंपनियों को अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति देता है, जो आर्थिक विस्तार में और योगदान देता है।

हाल के डेटा (और एक गहरी नज़र):

• **बढ़ती भागीदारी दर:** मुख्य संख्याएँ एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाती हैं, जिसमें श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) लगातार बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि अधिक लोग सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ। यह पिछले दशकों में देखी गई LFPR में दीर्घकालिक गिरावट का उलट है।

• **गिरती बेरोजगारी दर:** हाल के वर्षों में समग्र बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखी गई है। इससे पता चलता है कि कार्यबल में उपलब्ध कौशल और प्रस्तावित नौकरियों के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है। हालांकि, इन नौकरियों की गुणवत्ता पर विचार करना महत्वपूर्ण है (जिसका अगले भाग में उल्लेख किया गया है)।

• **संख्याओं के पीछे का धोखा:** जबकि मुख्य आंकड़े आशावादी प्रतीत होते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि एलएफपीआर और बेरोजगारी दर में सुधार मुख्य रूप से स्व-रोजगार में वृद्धि से प्रेरित है, न कि औपचारिक नौकरी सृजन में उछाल से। यह औपचारिक क्षेत्र में अवसरों की कमी का संकेत दे सकता है, जो लोगों को पसंद के बजाय आवश्यकता के कारण अनौपचारिक काम की ओर धकेलता है।

ये डेटा क्या छिपाते हैं (चिंता का कारण):

• **अवैतनिक पारिवारिक कार्य का विस्फोट:** स्व-रोजगार की श्रेणी में, सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों में है। इसका मतलब है कि अधिक लोग औपचारिक वेतन प्राप्त किए बिना पारिवारिक व्यवसायों में सहायता कर रहे हैं। जबकि यह परिवार की आय में योगदान देता है, यह व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक लाभ की गारंटी नहीं देता है।

• **नौकरी की गुणवत्ता में गिरावट:** अनौपचारिक कार्य, विशेष रूप से अवैतनिक पारिवारिक श्रम पर बढ़ती निर्भरता, नौकरियों की समग्र गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देती है। इन नौकरियों में अक्सर कम उत्पादकता होती है, जिसका अर्थ है कि श्रमिक औपचारिक क्षेत्रों की तुलना में प्रति घंटे कम उत्पादन करते हैं। यह समग्र आर्थिक विकास को सीमित करता है।

• **स्थिर वेतन:** इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि आय स्वरोजगार में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। सबसे वांछनीय श्रेणी, सुरक्षा और लाभ के साथ नियमित वेतन वाली नौकरियां, कुल रोजगार या औसत आय के अपने हिस्से में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई है। यहां तक कि आकस्मिक श्रमिक, जिनकी आय में मामूली वृद्धि देखी गई, वे भी गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त कमा पाते हैं।

महत्वपूर्ण विश्लेषण (अंतर्निहित मुद्दे):

• **कम उपयोग वाला कार्यबल:** भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर में है, जहाँ एक बड़ी युवा आबादी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। हालाँकि, पर्याप्त गुणवत्ता वाली नौकरियाँ बनाने में विफल रहने और अनौपचारिक काम पर ध्यान केंद्रित करने से, देश अपनी विशाल श्रम क्षमता का कम उपयोग कर रहा है।

• **कम उत्पादकता और स्थिर माँग:** कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक नौकरियों का प्रभुत्व दो तरह से आर्थिक विकास में बाधा डाल सकता है। सबसे पहले, यह अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन को सीमित करता है। दूसरे, इन क्षेत्रों में स्थिर मज़दूरी उपभोक्ता खर्च को प्रतिबंधित करती है, जिससे व्यवसायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की माँग कम हो जाती है। इससे एक दुष्चक्र बनता है।

आगे की राह:

• **औपचारिक नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करना:** ऐसी नीतियाँ जो व्यवसायों को सुरक्षा, लाभ और सामाजिक सुरक्षा के साथ औपचारिक नौकरियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसमें उन कंपनियों के लिए कर छूट या सब्सिडी शामिल हो सकती है जो विस्तार करती हैं और नए कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं।

• **कौशल विकास पर ध्यान दें:** कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने से कार्यबल को औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकता है। इससे रोजगार में सुधार और श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करने में मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर वेतन मिल सकता है।

• **अनौपचारिक नौकरियों को बढ़ावा देना:** औपचारिकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ काम करने की स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार की भी आवश्यकता है।

मसले का सार

• **संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर यात्रा**

  ◦ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में श्रीनगर यात्रा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के विवादास्पद निरस्तीकरण के बाद से घाटी की उनकी पहली यात्रा थी।

  ◦ इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में सरकार की विकास पहलों को प्रदर्शित करना और क्षेत्र में अपनी नीतियों के लिए जनता का समर्थन जुटाना था।

• **पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण**

  ◦ **अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदान किया गया विशेष दर्जा:**

    ■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जिससे उसे अपना संविधान बनाने और कुछ मामलों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को प्रतिबंधित करने की अनुमति मिली।

    ■ इस विशेष दर्जे ने कश्मीरियों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, जिसमें क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों का एक अलग सेट शामिल है।

  ◦ **निरस्तीकरण के पक्ष में तर्क: विकास में बाधा और राजनीतिक एकाधिकार:**

    ■ भारत सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 ने निवेश और देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण को सीमित करके जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की।

    ■ उन्होंने यह भी दावा किया कि विशेष दर्जे ने कुछ स्थानीय दलों द्वारा प्राप्त राजनीतिक एकाधिकार को जन्म दिया, जिससे वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई।

• **वर्तमान स्थिति: विकास पहल बनाम चुनावों का अभाव**

  ◦ **विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर सरकार का ध्यान:**

    ■ निरस्तीकरण के बाद से, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विकास पहलों को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

    ■ इन पहलों में आर्थिक विकास कार्यक्रम, वंचित समुदायों के लिए विस्तारित आरक्षण लाभ और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।

  ◦ **लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का अभाव:**

- हालांकि, एक महत्वपूर्ण तत्व गायब है - लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की बहाली।
- जम्मू-कश्मीर में पिछली निर्वाचित सरकार 2018 में भंग कर दी गई थी, और तब से केवल दो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं।

  - **स्थानीय निकाय चुनाव और गुपकार गठबंधन की जीत:**
    - विशेष रूप से, इन दोनों स्थानीय निकाय चुनावों में गुपकार गठबंधन ने जीत हासिल की, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का एक समूह है।
    - यह सरकार के विकास के आख्यान और ज़मीन पर राजनीतिक भावनाओं के बीच संभावित अलगाव का संकेत देता है।

- **विकास बनाम राजनीतिक द्वंद्व**
  - **प्रधानमंत्री मोदी का "नया कश्मीर" और विकास पर ज़ोर:**
    - अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने "नया कश्मीर" (नया कश्मीर) की थीम पर ज़ोर दिया, जिसमें निवेश में वृद्धि और आरक्षण लाभों के विस्तार जैसी सरकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।
  - **आलोचकों का तर्क: लोकतांत्रिक बहाली की उपेक्षा:**
    - आलोचकों का तर्क है कि विकास पर यह ध्यान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को पीछे छोड़ देता है।
    - निर्वाचित विधानसभा की कमी और राजनीतिक नेताओं की निरंतर हिरासत को कश्मीर में वास्तविक राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में देखा जाता है।
- **जम्मू-कश्मीर की अनूठी स्थिति: निरस्तीकरण से पहले बनाम बाद में**
  - **निरस्तीकरण से पहले: कश्मीरियों के लिए विशेष अधिकार और सुरक्षा:**
    - निरस्तीकरण से पहले, कश्मीरियों को अनुच्छेद 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा प्राप्त थी।
    - इनमें क्षेत्र में संपत्ति रखने वाले बाहरी लोगों पर प्रतिबंध और एक अलग संविधान शामिल था जो विशिष्ट मौलिक अधिकारों की गारंटी देता था।
  - **सरकार का तर्क: विकास और एकीकरण में बाधा:**
    - केंद्र सरकार का तर्क है कि ये प्रावधान विकास और शेष भारत के साथ एकीकरण में बाधा डालते हैं।
  - कश्मीरी दृष्टिकोण: पहचान और आकांक्षाओं के लिए सुरक्षा उपाय:
    - हालांकि, कश्मीरी इन प्रावधानों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए सुरक्षा उपाय मानते हैं।
    - उनका तर्क है कि ये विशेष अधिकार उनकी सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे।
  - **निरस्तीकरण के बाद: निवेश और योजनाएँ बनाम अलगाव और वंचितता:**
    - हालाँकि निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर को बाहरी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए खोल दिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कई कश्मीरियों में अलगाव और वंचितता की भावना भी पैदा हुई है।
    - उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को कम आंका जा रहा है।
- **निरस्तीकरण के प्रभाव पर बहस**
  - **सरकार का रुख: बाधाओं को दूर करना और एकीकरण को बढ़ावा देना:**
    - केंद्र सरकार का कहना है कि विकास में बाधा को दूर करने और शेष भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना एक आवश्यक कदम था।
    - उनका तर्क है कि कश्मीरियों को पहले देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया था।
  - **विपक्ष का दृष्टिकोण: सत्ता हथियाना और अधिकारों को कमजोर करना:**
    - विपक्षी दल इस निरस्तीकरण को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता हथियाने के रूप में देखते हैं जो कश्मीरी स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है।
    - उनका तर्क है कि वादा किया गया विकास आम कश्मीरियों के लिए साकार नहीं हुआ है, और इस क्षेत्र को सुरक्षा चिंताओं और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

सतत विकास के आधार के रूप में लैंगिक समानता

संदर्भ: लेखिका दामिलोला ओगुनबियी का तर्क है कि सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि: लैंगिक समानता के बारे में बातचीत जोर पकड़ रही है, लेकिन लैंगिक समानता और सतत ऊर्जा के बीच संबंध को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लैंगिक समानता सिर्फ़ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सभी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 5 (लैंगिक समानता), एसडीजी 7 (स्वच्छ ऊर्जा) और एसडीजी 12 (जलवायु कार्रवाई) को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है।

अंतर्संबंध:

- महिलाएँ ऊर्जा तक पहुँच, उत्पादन और खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेष रूप से खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के लिए घरेलू ऊर्जा के प्रबंधन में।
- स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच की कमी महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे उन्हें बायोमास और केरोसिन जैसे हानिकारक विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है और ऊर्जा गरीबी बनी रहती है।

महिलाओं की भागीदारी में बाधाएँ:

- ऊर्जा क्षेत्र सबसे कम लैंगिक विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें वैश्विक स्तर पर केवल 22% महिलाएँ ही काम करती हैं।
- शैक्षिक और प्रशिक्षण सीमाएँ, कौशल विकास के लिए सीमित अवसर और असमान कंपनी नीतियाँ महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालती हैं।

ऊर्जा गरीबी का चक्र जारी रहना:

ऊर्जा गरीबी का अर्थ है खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए स्वच्छ और किफ़ायती ऊर्जा स्रोतों तक पहुँच की कमी।

- स्वच्छ ऊर्जा नहीं -> घर के अंदर प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करें।
- प्रदूषणकारी ईंधन -> स्वास्थ्य समस्याएँ (श्वसन संबंधी बीमारी, आदि)।
- स्वास्थ्य समस्याएँ -> कम काम, ज़्यादा मेडिकल बिल।
- कम पैसे -> स्वच्छ ऊर्जा का खर्च नहीं उठा सकते।
- गंदे ईंधन का उपयोग करना, चक्र को दोहराना।

अंतर को पाटना:

- सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना चाहिए।
- वीमेन एट द फोरफ्रंट और एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल महिला उद्यमियों को सशक्त बनाती हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं।
- वितरित अक्षय ऊर्जा (डीआरई) समाधान स्वच्छ ऊर्जा तक त्वरित पहुँच प्रदान कर सकते हैं, कार्यभार कम कर सकते हैं और महिलाओं की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
- सोलर मामा जैसे कार्यक्रम महिलाओं को सौर इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उनके समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा आती है।

ऊर्जा में लैंगिक समानता के लाभ:

- ऊर्जा नौकरियों और उद्यमिता में लैंगिक अंतर को कम करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का बढ़ावा मिल सकता है।
- महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अधिक नवीन समाधान, उच्च उत्पादकता और बेहतर सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने वालों में 70% से अधिक महिलाएँ हैं।

आगे की राह:

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के प्रमुख एजेंट के रूप में महिलाओं को पहचानने में बदलाव को उजागर करता है।
- सफल लिंग-संवेदनशील और महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छ ऊर्जा पहल एक स्थायी भविष्य बनाने में महिलाओं की शक्ति को प्रदर्शित करती है।
- महिलाओं और ऊर्जा की संयुक्त शक्ति का उपयोग करके, हम अधिक समावेशी, समृद्ध और टिकाऊ विश्व का निर्माण कर सकते हैं।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

प्रीलिम्स बूस्टर

ब्रह्मोस की मदद से मिनिकॉय द्वीप पर नौसेना बेस अरब सागर में 'द्वारपाल' की भूमिका निभाएगा

- ⚓ मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना द्वारा INS जटायु बेस की स्थापना अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें रडार, जेटी, एयरफील्ड और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों जैसी उन्नत क्षमताएं शामिल हैं, जो समुद्री संचार (SLOC) और पड़ोसी मालदीव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया तत्परता को बढ़ाती हैं।
- 🚀 INS जटायु के लिए व्यापक उन्नयन योजना हिंद महासागर में विस्तारित चीनी नौसैनिक उपस्थिति को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है, जिसमें विस्तारित रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों और रडार सुविधाओं की तैनाती का उद्देश्य उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की समुद्री रक्षा मुद्रा और परिचालन लचीलापन को मजबूत करना है।
- 🛡️ अरब सागर के प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख 'वॉच-कीपर' के रूप में स्थित, मिनिकॉय द्वीप संभावित खतरों और प्रतिकूल गतिविधियों के खिलाफ एक रणनीतिक निवारक के रूप में कार्य करता है, जिसमें INS जटायु भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। - 🏝️ सरकारी एजेंसियों और नीति आयोग के सहयोग से मिनिकॉय द्वीप पर चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास, एक महत्वपूर्ण समुद्री संपत्ति के रूप में द्वीप के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं, जिसमें बढ़ी हुई निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए नौसेना के पी-8आई जैसे परिष्कृत विमानों को समायोजित करने में सक्षम दोहरे उपयोग वाले हवाई क्षेत्र की योजना है।
- 🏗️ समवर्ती रूप से, चरण IIA के पूरा होने सहित प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत करवार नौसैनिक अड्डे का विस्तार, भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत देता है, जिसमें कवर्ड ड्राई बर्थ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं परिचालन तत्परता और बर्थिंग क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति और तैयारियों को मजबूती मिलती है।

मेघालय का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित 'शहर'

- 🏭 फरवरी में मेघालय का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित 'शहर' बनकर उभरा, जिसमें मासिक औसत PM2.5 सांद्रता 183 µg/m3 थी, जो पूर्वोत्तर शहरी केंद्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर प्रकाश डालती है, जो आमतौर पर अपनी हरियाली के लिए जाने जाते हैं।
- 🌆 अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरों में बिहार में अररिया, उत्तर प्रदेश में हापुड़ और राजस्थान में हनुमानगढ़ शामिल हैं, इसी अवधि के दौरान बर्नीहाट का PM2.5 स्तर दिल्ली की तुलना में लगभग 1.8 गुना अधिक था, जबकि दिल्ली भारत में 14वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रैंक करता है।
- 🌿 नलबाड़ी, अगरतला, गुवाहाटी और नागांव शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में सूचीबद्ध पूर्वोत्तर शहरों में से थे, जो इस क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को रेखांकित करता है, 11 में से छह शहर PM2.5 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से अधिक थे।
- 🌬️ इसके विपरीत, शिवसागर, सिलचर, आइजोल और इंफाल को पूर्वोत्तर के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में मान्यता दी गई, जिनमें पीएम 2.5 सांद्रता एनएएक्यूएस से नीचे थी, जबकि मध्य प्रदेश में सतना और कर्नाटक में विजयपुरा क्रमशः भारत के सबसे स्वच्छ और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान पर रहे।
- 📊 डेटा पूर्वोत्तर राज्यों में वायु गुणवत्ता निगरानी को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि अनियमित औद्योगिक गतिविधियों, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कमी वाले निर्माण प्रथाओं के कारण बढ़ते प्रदूषण के स्तर को दूर किया जा सके, जिससे पर्यावरणीय गिरावट को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता हो।
- 🌟 प्रदूषण के चिंताजनक स्तरों के बावजूद, फरवरी में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें 36 शहरों को 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो पिछले महीने की तुलना में प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करने में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

कोयला उत्पादन 900 मीट्रिक टन के पार पहुंचा; पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक

-- 🏭 भारत का कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन को पार कर गया है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी 1 बिलियन टन लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, कोयला मंत्रालय ने इस उपलब्धि को देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है।
- 📈 उल्लेखनीय रूप से, फरवरी में कोयला उत्पादन बढ़कर 803.79 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.07% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जिसमें लगभग 85 मिलियन टन का पर्याप्त कोयला स्टॉक घरेलू कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करता है।
- 💡 कोयला उत्पादन के मजबूत आंकड़ों ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में योगदान दिया है, कोयला उद्योग ने जनवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों में 10.2% की उच्चतम वृद्धि दर प्रदर्शित की है, जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान और ऊर्जा मांगों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- 📊 कोयला क्षेत्र के सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 198.6 अंकों की तुलना में जनवरी 2024 में 218.9 अंक तक पहुंच गया, अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान 12.2% की संचयी सूचकांक वृद्धि के साथ, इस क्षेत्र की लचीलापन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान को रेखांकित करता है।

आयकर न्यायाधिकरण ने 210 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज की

- 🏛️ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कर रिटर्न विसंगतियों के लिए ₹210 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद कानूनी विकल्पों पर विचार करने और उच्च न्यायालय जाने की योजना बनाई गई।
- 💰 कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही लिए गए फैसले के समय पर निराशा व्यक्त की और वित्तीय बाधाओं के कारण निष्पक्ष चुनावों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई।
- ⚖️ पार्टी के पदाधिकारियों ने जुर्माने की आलोचना लोकतंत्र पर हमले के रूप में की और ITAT के उदाहरणों के आवेदन में विसंगतियों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने के इरादे पर प्रकाश डाला।
- 🗳️ कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक अभियानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर वित्तीय सीमाओं के प्रभाव के बारे में व्यापक चिंताओं को रेखांकित करती है।
- 🏛️ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की स्थापना जनवरी 1941 में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत अपील में विशेषज्ञता वाली एक अर्ध-न्यायिक संस्था के रूप में की गई थी, जिसके आदेश तब तक अंतिम होते हैं जब तक कि निर्धारण के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न न हो, जिससे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- 🟫 शुरुआत में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में तीन बेंचों में छह सदस्यों वाले ITAT ने 27 स्टेशनों पर 63 बेंचों का विस्तार किया है, जो उच्च न्यायालय की सीटों वाले शहरों में कर-संबंधी अपीलों के लिए सुलभ मंच प्रदान करते हैं।
- ⚖️ ऐतिहासिक रूप से, भारत में कर कानूनों के विकास ने आयकर अधिनियम के तहत शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण की आवश्यकता के जवाब में ITAT की स्थापना की, जिससे कर मामलों में वादियों के लिए निष्पक्ष, आसान और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। - 🌟 ITAT का आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सतत न्याय' प्रत्यक्ष करों पर विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करने, शीघ्र न्याय प्रदान करने और 'मातृ न्यायाधिकरण' के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत में अप्रत्यक्ष करों और अन्य क्षेत्रों के लिए इसी तरह के अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना को प्रेरित करता है।
- 🏆 अपने 75 साल के इतिहास में, ITAT ने ऐसे सदस्यों को तैयार किया है जो उच्च न्यायिक पदों पर आसीन हुए हैं, जो प्रत्यक्ष करों में न्याय के प्रशासन में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हैं, इस क्षेत्र में इसकी सराहनीय सेवा और विशेषज्ञता के लिए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं।

केंद्र ने प्रधानमंत्री सौर 'मुफ्त बिजली' योजना में बदलाव किया

- 💡 केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये की पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (रूफटॉप सोलर: मुफ़्त बिजली योजना) को संशोधित किया है, ताकि अब घरों में 1 किलोवाट-3 किलोवाट सौर प्रणाली स्थापित करने की लागत का 60% तक योगदान दिया जा सके, लाभार्थियों को शेष राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें न्यूनतम 20,000 रुपये होंगे, जो संभावित रूप से कम ब्याज वाले, संपार्श्विक-मुक्त ऋण द्वारा ऑफसेट किए जा सकते हैं।
- 🏠 इस योजना के लिए पात्र घरों के पास उपयुक्त छत और मौजूदा ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए, जिसमें उत्पादित और अप्रयुक्त सौर ऊर्जा नेट-मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में वापस प्रवाहित हो, जिससे संभावित रूप से बिजली के बिल कम हो सकते हैं और समय के साथ उपभोक्ताओं के लिए आय भी बढ़ सकती है।
- 💰 इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक छत पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें 3 किलोवाट-घंटे की प्रणाली के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पैदा करना और घरों के लिए आवेदन और स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
- 🌞 संशोधित योजना उपभोक्ता भागीदारी और ऋण सुविधा पर केंद्रित है, जिसमें बेहतर सेवा वितरण पर जोर दिया गया है और तीन साल के भीतर एक करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है, भारत भर में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी और सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाओं का लाभ उठाया गया है।
- 🏦 यह योजना उपभोक्ता-संचालित सौर प्रतिष्ठानों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें छत पर सौर प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने और देश में टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को बढ़ाया गया है।